न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 179/2016/223 आर टी ए

1. कमलादेवी पत्नि स्व. लीलाधर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रीटा पुत्री स्व. लीलाधर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सीटू पुत्री स्व. लीलाधर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. नवीन पुत्र स्व. लीलाधर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. नीटू पि0 लीलाधर नाबालिग कुदरतीबली माता कमलादेवी पत्नि स्व. लीलाधर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. चिंटू पि0 लीलाधर नाबालिग कुदरतीबली माता कमलादेवी पत्नि स्व. लीलाधर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सतवीर पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. भरतसिंह पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुमित्रा पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. विनोद पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. प्रमोद पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. सुनिता पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. बबीता पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. रोशनी पत्नि वीरसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. राजेश पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

11. गंगादेवी पत्नि हवासिंह जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

——— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 134/2013 अनवानी नत्थुराम बनाम लीलाधर आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3, 6,7,9

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12

निर्णय दिनांकः–30.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि मे हिस्सानुसार अच्छी मे से अच्छी मंदी मे से मंदी के अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को कमिशनर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया तथा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 28.02.2012 को वाद अन्तिम डिक्री जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2012 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे दोनो पक्षो की उपस्थिति मे मौका पर जाकर तहसीलदार भादरा को प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जावे व विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर दोनो पक्षो को विभाजन प्रस्ताव पर सुना जाकर विभाजन अन्तिम डिक्री पारित करें जिस पर कतई विधिक प्रावधानो के विपरीत रिमाण्ड आदेशो की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद गलत रूप से एकपक्षीय डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट सं0 1 के पति व अपीलांट सं. 2 ता 6 के पिता स्व. लीलाधर ने पूर्व मे भी यह ऐतराज करते हुए अपील प्रस्तुत की थी कि पक्षकारान का खसरा नं. 491 की भूमि पर कब्जा पूर्व से पश्चिम हिस्सा अनुसार है जिसमे रास्ता की भी सभी

पक्षकारान को सहुलियत थी इसलिए खसरा नं. 491 की भूमि का विभाजन पूर्व से पश्चिम ही किया जाना चाहिए था एवं कब्जा भी इसी अनुरूप था परन्तु पूर्व मे खसरा नं. 491 मे विभाजन प्रस्ताव मे उत्तर से दक्षिण सभी पक्षकारान को भूमि दी गई थी एवं अब पुनः प्रश्नगत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है उससे पूर्व विधि विरूद्ध एकपक्षीय अपीलांट की अनुपस्थिति मे जो विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.03.2016 को आया वह पुर्वानुसार ही बिना किसी रद्दोबदल प्रस्तुत हुआ। विचारण न्यायालय के समक्ष इस विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियां भी आई जिसका किसी प्रकार से कोई निस्तारण किये बिना ही विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया था परन्तु तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्तव पर अपने हस्ताक्षर कर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार तहसीलदार ने ना तो मौका देखा और ना ही नक्शा मौका स्वयं ने अपनी उपस्थिति मे बनाया बल्कि हल्का पटवारी को रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मुकर्रर कर दिया जो कानूनन मौका कमिशनर रिपोर्ट हेतु किसी को नियुक्त नही कर कर सकते थे एवं हल्का पटवारी ने भी किसी प्रकार का कोई नोटिस विभाजन हेतु अपीलांट को नही दिया और ना ही तहसीलदार ने कोई नोटिस दिया। इस प्रकार रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय होने से स्वीकार नही है।

4. विभाजन प्रस्ताव से पूर्व तो पत्रावली पर और भी आपत्तियों मे रास्ता का एतराज था एवं खसरा नं. 491 की भूमि पर कब्जा काश्त पूर्व से पश्चिम सभी पक्षकारान का था एवं रास्ता भी मौके पर खसरा नं. 491 मे उत्तर से दक्षिण चल रहा है तो इस प्रकार भूमि का विभाजन क्यों नही किया जा सकता था। रोही मौजा डाबडी के खसरा नं. 491 की भूमि मे उत्तर से दक्षिण रास्ता गढ़डा से डाबड़ी का है, खसरा नं. 491 के उत्तर मे डाबड़ी व दक्षिण मे गढ़डा है इस कारण सभी पक्षकारान की इस खसरा नं. मे काश्त पूर्व से पश्चिम होने के कारण सभी को रास्ता लगता है इस कारण भूमि को काश्त करने मे कोई कठिनाई किसी भी पक्षकार को नही होती है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2011–12 पेज 698,

आरआरटी 2014 पेज 258, आरआरडी 1995 पेज 475, आरआरटी 2011 पेज 1095 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के निर्देशानुसार तहसीलदार भादरा द्वारा अच्छी मंदी के लिहाज से विभाजन प्रस्ताव मौका पर जाकर तैयार किया गया है विभाजन प्रस्ताव सही है व मौका एवं वास्तविकता के अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन की जांच कर इसे सही होना पाया जाने पर विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त स्थिति को ध्यान मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो हर प्रकार से सही एवं विधिनुसार है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

7. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पूर्व मे भी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दावा अन्तिम डिक्री किया गया था जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2012 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे दोनो पक्षो की उपस्थिति मे मौका पर जाकर तहसीलदार भादरा को प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जावे व विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर दोनो पक्षो को विभाजन प्रस्ताव पर सुना जाकर विभाजन अन्तिम डिक्री पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे रिमाण्ड निर्देशो को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने ना तो दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई हेतु कोई अवसर दिया गया तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है एवं अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित

पक्षकारो को सुने तथा बिना आपत्तियों का निस्तारण किये दावा डिक्री किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए रास्ता एवं खाला को ध्यान रखते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21.11.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ